भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3715

उत्तर देने की तारीख : 23.03.2023

केंद्र प्रायोजित योजनाएं

3715. डॉ. सुकान्त मजूमदार:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा विगत पांच वर्षों और वर्तमान के दौरान उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर जिलों सहित पश्चिम बंगाल राज्य में कार्यान्वित की जा रही केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का वर्ष/योजना/जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों और वर्तमान के दौरान उपर्युक्त प्रत्येक योजना के लिए आबंटित, संस्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधियों का वर्ष/योजना और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों और वर्तमान के दौरान उपर्युक्त योजनाओं का कार्यान्वित करते समय निर्धारित और प्राप्त वास्तविक लक्ष्यों का वर्ष/योजना/जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय ने उपरोक्त योजनाओं को कार्यान्वित करते समय कोई कमियां पाई हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा उन कमियों के समाधान/उनको दूर करने के लिए उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ड.) क्या उपर्युक्त योजना में से किसी योजना में समय और लागत में वृद्धि हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) से (ग) : एमएसएमई मंत्रालय की योजनाएं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं जहां निधियां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आंवटित नहीं की जाती हैं। एमएसएमई मंत्रालय अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से, पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है जिनमें अन्य बातों के साथ- साथ प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम-कलस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), पारंम्परिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीटीएमएसई), नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर), उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) शामिल हैं। इन योजनाओं के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ क्रेडिट तक आसानी से पहुंच, बाजार तक पहुंच, एमएसएमई के लिए प्रौद्योगिकी सहायता और युवाओं के बीच स्वरोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उद्यमिता संबंधी रुझान/कौशल का विकास करना शामिल है।

उत्तरी और दक्षिणी दिनाजपुर जिलों सहित पश्चिम बंगाल राज्य में पीएमईजीपी के तहत परियोजनाओं की संख्या और मार्जिन मनी का जिलावार विवरण, सीजीटीएमएसई के तहत स्वीकृत गारंटियों की संख्या और स्वीकृत राशि और पूर्ववर्ती 'उद्योग आधार ज्ञापन' पोर्टल पर पंजीकृत वर्गीकृत एमएसएमई की संख्या तथा 'उद्यम पंजीकरण पोर्टल' पर पंजीकृत और वर्गीकृत एमएसएमई की संख्या क्रमशः **अनुबंध -I, अनुबंध -II, अनुबंध-III में दी गई है।**

(घ) से (च) : एमएसएमई मंत्रालय पश्चिम बंगाल राज्य सहित देशभर में केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का कार्यान्वयन करता है और संबंधित योजना से जुड़े दिशानिर्देशों के तहत अधिदेशित इन योजनाओं की निगरानी के लिए एक कार्यप्रणाली स्थापित की गई है। योजनाओं के शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयन की सुनिश्चितता और इस संबंध में सुविधा प्रदान करने के लिए समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है। ये योजनाएं अभी भी जारी हैं।

****

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3715, जिसका उत्तर दिनांक 23.03.2023 को जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-I

पीएमईजीपी के तहत विगत पांच वर्षों और मौजूदा वित्तीय वर्ष (28.02.2023 तक) के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में परियोजनाओं की जिले-वार संख्या और मार्जिन मनी नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	ज़िला	वित्त वर्ष 2017-18		वित्त वर्ष 2018-19		वित्त वर्ष 2019-20		वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23 (28.02.2023 तक)	
		परियोजनाओं की संख्या	मार्जिन मनी (लाख रुपएमें)	परियोजनाओं की संख्या	मार्जिन मनी (लाख रुपएमें)	परियोजनाओं की संख्या	मार्जिन मनी (लाख रुपएमें)	परियोजनाओं की संख्या	मार्जिन मनी (लाख रुपएमें)	परियोजनाओं की संख्या	मार्जिन मनी (लाख रुपएमें)	परियोजनाओं की संख्या	मार्जिन मनी (लाख रुपएमें)
1.	अलीपुरद्वार	22	55.19	39	136.5	47	113.21	125	360.8	68	197.63	74	325.3
2.	बांकुड़ा	110	216.24	75	210.12	64	153.17	38	92.36	45	102.47	36	130.17
3.	बीरभूम	67	119.05	134	299.55	80	184.45	82	201.1	92	256.75	59	167.49
4.	कूचबिहार	45	107.29	84	156.93	80	175.08	98	278.26	60	148.62	100	283.37
5.	**दक्षिण दिनाजपुर**	**73**	**260.34**	**66**	**234.71**	**51**	**177.88**	**56**	**248.87**	**62**	**289.57**	**23**	**83.83**
6.	दार्जिलिंग	52	92.45	81	175.14	71	167.9	80	217.9	69	196.28	36	95.32
7.	हुगली	24	61.15	59	145.24	43	97.94	41	106.92	56	167.09	58	147.88
8.	हावड़ा	26	57.35	72	240.61	80	240.19	37	101.05	70	173.73	97	233.29
9.	जलपाईगुड़ी	17	30.64	50	211.36	17	46.42	38	86.78	131	412.24	53	198.34
10.	झारग्राम	0	0	0	0	0	0	7	31.53	9	40.09	18	43.45
11.	कलिम्पोंग	0	0	4	13.57	9	15.82	5	12.04	12	34.76	18	38.15
12.	कोलकाता	4	12.57	7	15.49	13	34.46	12	17.08	13	14.57	15	16.13
13.	मालदा	25	26.52	62	106.2	41	76.71	58	176.58	51	145.7	38	142.83
14.	मुर्शिदाबाद	93	136.34	139	423.94	185	694.26	211	699.98	204	675.41	186	609.91
15.	नादिया	57	221.39	105	421.04	219	1,505.45	80	496.51	63	270.61	50	255.27
16.	उत्तर 24 परगना	188	672.57	276	890.63	227	855.52	215	786.34	232	867.77	187	645.55
17.	पश्चिम बर्दवान	0	0	2	10.51	11	29.46	5	16.3	10	37.53	8	43.36
18.	पश्चिम मेदिनीपुर	22	39.88	107	260.66	78	205.59	90	312.24	68	227.34	46	147.15
19.	पुरबा बर्दवान	35	91.11	88	224.39	75	170.51	52	137.47	68	144.25	39	113.57
20.	पुरबा मेदिनीपुर	243	704.83	561	1,963.72	576	2,424.78	555	2,378.53	653	3,217.1	320	1,251.65
21.	पुरुलिया	18	44.42	47	91.83	43	198.73	36	142.87	30	91.26	22	75.37
22.	दक्षिण 24 परगना	223	884.57	346	1,319.12	208	910.59	135	495.97	175	622.92	171	530.31
23.	**उत्तर दिनाजपुर**	**22**	**57.47**	**9**	**17.52**	**4**	**9.28**	**14**	**27.84**	**64**	**205.94**	**26**	**84.62**
	कुल	**1,366**	**3,891.37**	**2,413**	**7,568.78**	**2,222**	**8,487.4**	**2,070**	**7,425.32**	**2,305**	**8,539.63**	**1,680**	**5,662.31**

अनुबंध- II

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3715, जिसका उत्तर दिनांक 23.03.2023 को जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-II

विगत पांच वर्षों और मौजूदा वित्तीय वर्ष (28.02.2023 तक) के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में 'सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना' (सीजीटीएमएस) के तहत स्वीकृत गारंटियों की जिला-वार संख्या और अनुमोदित राशि नीचे दी गई है:

क्र.सं.	ज़िला	वित्त वर्ष 2017-18		वित्त वर्ष 2018-19		वित्त वर्ष 2019-20		वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23 (28.02.2023 तक)	
		स्वीकृत गारंटियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत गारंटियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत गारंटियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत गारंटियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत गारंटियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत गारंटियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)
1.	अलीपुरद्वार	0	0	6	0.97	150	14.96	151	7.4	207	15.14	1,783	322.33
2.	बांकुड़ा	191	10.95	601	28.81	839	36.94	649	17.37	739	46.76	1,253	103.28
3.	बीरभूम	207	10.23	593	56.81	941	52.74	1,029	42.31	1,107	70.07	1,319	123.07
4.	कूचबिहार	214	10.2	226	9.28	660	19.35	620	14.09	637	31.88	766	58.02
5.	**दक्षिण दिनाजपुर**	**98**	**5.57**	**113**	**6.58**	**427**	**17.02**	**285**	**10.65**	**351**	**14.58**	**430**	**23.67**
6.	दार्जिलिंग	252	21.52	516	31.72	1,191	62.28	1,227	52.12	1,416	91.27	1,603	162.84
7.	हुगली	974	44.27	852	54.58	1,857	96.9	1,494	62.07	3,130	150.83	3,585	283.59
8.	हावड़ा	705	81.36	1,269	132.65	2,171	212.17	1,818	148.47	2,830	286.95	3,022	406.85
9.	जलपाईगुड़ी	324	25.27	619	38.05	1,328	53.86	1,004	34.97	1,050	69.79	1,254	123.8
10.	झारग्राम	0	0	22	0.85	5	0.27	20	1.1	46	3.04	223	12.58
11.	कलिम्पोंग	0	0	2	0.12	10	0.39	42	2.09	60	3.34	52	5.81
12.	कोलकाता	2,531	299.26	6,312	597.35	10,019	937.72	5,324	549.98	6,393	954.94	7,976	1,535.37
13.	मालदा	141	5.4	367	29.4	681	31.85	876	26.11	668	41.97	1,025	90.1
14.	मुर्शिदाबाद	330	27.93	1,059	85.83	1,546	85.95	1,348	49.83	2,040	147.97	3,703	324.66
15.	नादिया	514	32.26	787	64.5	1,321	61.93	1,308	53.7	1,652	97.54	1,798	168.74
16.	उत्तर 24 परगना	1,721	109.29	2,195	135.72	4,097	241.51	3,670	168.91	3,838	277.73	4,160	424.46
17.	पश्चिम बर्दवान	395	30.67	707	56.44	1,539	100.66	1,111	71.78	1,137	76.75	1,702	166.02
18.	पश्चिम मेदिनीपुर	258	15.86	811	38.97	1,454	58.01	1,043	40.85	1,946	95.2	2,452	169.07
19.	पुरबा बर्दवान	237	24.41	715	62.26	2,560	73.82	1,771	62.03	2,032	90.51	1,502	142.43
20.	पुरबा मेदिनीपुर	332	20.14	646	44.57	1,863	84.83	1,820	73.11	2,170	105.13	2,493	190.65
21.	पुरुलिया	121	7.13	420	25.98	519	25.48	421	16.86	401	28.06	963	56.69
22.	दक्षिण 24 परगना	877	73.69	1,580	93.78	2,066	109.74	2,343	93.02	2,735	159.01	2,890	247.9
23.	**उत्तर दिनाजपुर**	**113**	**8.9**	**231**	**15.53**	**423**	**19.99**	**415**	**18.86**	**448**	**28.63**	**559**	**49.01**
	कुल	**10,535**	**864.32**	**20,649**	**1,610.74**	**37,667**	**2,398.35**	**29,789**	**1,617.68**	**37,033**	**2,887.09**	**46,513**	**5,190.93**

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3715, जिसका उत्तर दिनांक 23.03.2023 को जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-III

पश्चिम बंगाल राज्य में पंजीकृत और वर्गीकृत एमएसएमई की जिलेवार संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	जिला	पंजीकृत और वर्गीकृत एमएसएमई की संख्या		
		पूर्ववर्ती 'उद्योग आधार ज्ञापन' पोर्टल के अनुसार	नए 'उद्यम पंजीकरण' पोर्टल पर	
		01.04.2018 से 30.06.2020 तक	01.07.2020 से 31.03.2022 तक	01.04.2022 से 20.03.2023 तक
1.	अलीपुरद्वार	923	2,225	4,386
2.	बांकुड़ा	2,256	4,718	6,511
3.	बीरभूम	2,204	5,934	8,529
4.	कूचबिहार	2,995	4,277	6,878
5.	**दक्षिण दिनाजपुर**	**4,909**	**3,179**	**3,863**
6.	दार्जिलिंग	2,457	8,064	8,250
7.	हुगली	5,981	14,198	14,669
8.	हावड़ा	7,257	17,312	15,418
9.	जलपाईगुड़ी	2,421	5,705	7,468
10.	झारग्राम	190	1,037	1,750
11.	कलिम्पोंग	152	455	758
12.	कोलकाता	17,786	42,427	28,170
13.	मालदा	4,207	6,536	9,947
14.	मुर्शिदाबाद	4,204	11,487	17,964
15.	नादिया	4,054	9,455	13,970
16.	उत्तर 24 परगना	13,068	29,721	35,131
17.	पश्चिम बर्दवान	3,087	10,536	10,615
18.	पश्चिम मेदिनीपुर	4,451	9,301	12,679
19.	पुरबा बर्दवान	4,208	9,538	12,831
20.	पुरबा मेदिनीपुर	2,772	12,417	13,925
21.	पुरुलिया	1,783	3,033	4,849
22.	दक्षिण 24 परगना	6,933	17,964	20,071
23.	**उत्तर दिनाजपुर**	**1,618**	**4,665**	**7,508**
कुल		**99,916**	**2,34,184**	**2,66,140**